

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....01.....

वर्ष 2023...



विविधवाद / प्रथम अपील



बनाम



अपीलकर्ता आमलेश्वर खिदास
 ग्रा. अलनाहँड, पंच-सरई,
 थाना-पेंक, बोकारो ।




प्रतिवादी मिजा कर्पूरी पदाठ, बोकारो ।



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10-01-2023	<p>श्री कालेश्वर रविदास राशन कार्ड सं०-202001935420, ग्राम-असनाटांड, पं०-सरई, पो०-पलामू थाना-पेंक, नावाडीह जिला-बोकारो का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।</p> <p>परिवादी द्वारा शिकायत किया गया है कि पूर्व में दिनांक-29.09.2022 को उनके द्वारा आयोग के समक्ष माह जुलाई और अगस्त, 2022 का राशन नहीं दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज करने के उपरान्त उन्हें इन दोनों माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया किन्तु माह सितम्बर का राशन नहीं दिया गया। साथ ही PDS दुकान को निलंबित भी कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस कार्रवाई से नाराज होकर PDS दुकानदारों द्वारा शिकायतकर्ता एवं उनके भाई अनील कुमार रविदास का राशन कार्ड सं०-202001935420 एवं 20221935421 रद्द करा दिया गया है। यह भी कि इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा किये गये लिखित शिकायत को स्थानिय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के दबाव में वापस लिया गया है।</p> <p>प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है।</p> <p>इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-16.01.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>दिनांक-16.01.2023 अपराह्न 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.01.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-01/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।</p> <p>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने आयोग को जानकारी दी कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उनका एवं उनके भाई के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। आयोग की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कहना है कि ERCMS के माध्यम से राशन कार्ड रद्द हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, का कहना है कि उपरोक्त का राशन कार्ड तभी रद्द होता है, जब शिकायतकर्ता ने स्वयं रद्द करने हेतु आवेदन दिया हो। इस मामले में शिकायतकर्ता ही राशन कार्ड के रद्द होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि फर्जी तरीके से किसी ने शिकायतकर्ता के आधार नंबर को प्राप्त किया, तत्पश्चात् शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रद्द कर दिया। इस गंभीर विषय पर आयोग उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारों के लिये हर संभव कदम उठाने को तैयार है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को आदेश देता है कि सम्बन्धित थाने में वे राशन कार्ड रद्द करने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराएँ। आयोग पुलिस अधीक्षक, बोकारो को निर्देश देता है कि वे इस मामले की जाँच स्वयं अपनी निगरानी में कराकर प्रतिवेदन आयोग को 01 माह में भेजें कि शिकायतकर्ता के राशन कार्ड को किसने रद्द कराया।</p> <p>शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में कम राशन देने या राशन नहीं देने की शिकायत प्राप्त होती रहती है लेकिन यह मामला अत्यन्त ही गंभीर है, क्योंकि शिकायत करने पर राशन कार्ड रद्द करवा देना, यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि सम्बन्धित राशन डीलर लोगों से राशन लेने से पहले ही अंगूठा लगवा लेता है। ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को आयोग निर्देश देता है कि इस मामले में अपने जिले के सभी प्रखण्डों में विशेष जागरूकता अभियान चला कर इस आशय की जानकारी लाभुकों को दें कि किसी भी हाल में राशन लेने से पहले अंगूठा न लगाएँ। मामले के सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-20.02.2023 निर्धारित की जाती है। निर्धारित की गई तिथि की जानकारी सभी पक्षों को उपलब्ध करा दी जाए। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, बोकारो को अनुपालनार्थ भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">सुनवाई कॉन्फ्रेंसिंग बोकारो/ADS (Cw)-27/23</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1 म</p>

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
20.02.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-01/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।</p> <p>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता ने सम्बन्धित थाना में FIR दर्ज करा देने की बात बताई है। आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि दर्ज कराये गये FIR की प्रति आयोग को भेजें ताकि आयोग पुलिस अधीक्षक, बोकारो को FIR की प्रति भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन जल्द से जल्द से उपलब्ध कराने का निदेश दे सके।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई दिनांक-22.03.2023 निर्धारित की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="346 858 649 1041" style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div data-bbox="874 836 1169 1041" style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-01 / 2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।</p> <p>आयोग के अभिलेख में पुलिस अधीक्षक के ज्ञापांक-389 दिनांक-17.02.2023 द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है, इसमें इस आशय की जानकारी दी गई है कि काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, बोकारो को आयोग द्वारा दर्ज काण्ड के जांच के फलाफल से अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक से अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है। सुनवाई हेतु दिनांक-25.04.2023 को रखें।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> <div style="text-align: center;">  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। </div> </div> <p style="margin-top: 40px;">अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि. 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। सूचना उभयपक्ष को दें।</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  25.4.23 </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.05.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-01/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।</p> <p>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित अपीलकर्ता ने आयोग के निर्देश के आलोक में FIR दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक, बोकारो ने अपने भेजे प्रतिवेदन में आयोग को बताया है कि दर्ज कराए गए FIR की जाँच की जा रही है। इस बीच आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो ने यह कहा है कि जाँच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आयोग के निर्देश में अपीलकर्ता को नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है, यदि वे राशन कार्ड के लिए आवेदन दिये हों।</p> <p>आयोग अपीलकर्ता को निर्देश देता है कि वे नया राशन कार्ड के लिये आवेदन दें एवं राशन लेना शुरू करें। रही बात पुराने राशन कार्ड को रद्द करने की, तो इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अनुसंधान के निष्कर्ष से अपीलकर्ता को अवगत करा दिया जाएगा। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div data-bbox="368 1123 655 1322" style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div data-bbox="885 1123 1199 1322" style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	